राजस्थान–सरकार
वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग

क्रमांकः प.4(28)वित्त/राजस्व/2015 **जयपुर, दिनांक : 17 NOV 2015**

आज्ञा

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाऐं (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा, 2012 के परिणाम के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंसा पर राजस्थान राज्य बीमा और भविष्य निधि सेवा नियम 1959 के नियम 22 एवं 24 बी के अनुसरण में महामहिम राज्यपाल महोदय निम्नांकित अभ्यर्थियों को राजस्थान राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि सेवा में सहायक निदेशक के पद पर 2 वर्ष की कालावधि के लिये **परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी** के रूप में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय वेतन भत्तों पर उपस्थिति देने की संगत तिथि से एतद्द्वारा नियुक्त करते हैं। यह संगत तिथि हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर में आधारभूत पाठ्यक्रम (प्रशिक्षण) के लिए रिपोर्ट करने की तिथि अथवा पूर्व में आधारभूत पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में इस विभाग को रिपोर्ट करने की तिथि के अनुसार होगी :–

क्र.सं.	मैरिट नम्बर	रोल नम्बर	अभ्यर्थी का नाम	श्रेणी	जन्म तिथि
1.	116	851321	श्वेता तिवारी	GE,WE	12.11.1979
2.	179	822735	महीपाल मोटसरा	BC	05.04.1983
3.	197	865258	कमलेश योगेश्वर	BC	03.07.1982
4.	205	868694	अमित पटोलिया	GE,NG	24.07.1973
5.	211	865880	संदीप कुमार त्रिपाठी	GE	24.06.1989
6.	215	811036	गौरव कुमार	GE	02.08.1980
7.	216	801617	मोहम्मद रऊफ	GE	17.02.1982
8.	224	861566	निफिया चौधरी	GE,WE	10.08.1989
9.	225	831187	मुकेश कुमार सोनी	BC	15.10.1991
10.	839	852776	सुनीता मीना	ST,WE	20.12.1984
11.	881	851272	प्रियंका मेहरानिया	SC,WE	20.09.1988
12.	2885	872595	सुनीता कुमारी	GE,WE,BL	02.07.1977

उक्त नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जा रही हैं:–

1 उक्त नियुक्तियां एस.एल.पी. संख्या 18272–76/2008 (सिविल अपील संख्या 2049–2053/2011) एवम् रिट पिटीशन संख्या 6744/2008, 11200/2010, 5347/2015, 1085/2014, डी.बी.स्पेशल संख्या 544/2015 एवम् रिट पिटीशन संख्या 1862/2013 (कैप्टेन श्री गुरविन्दर सिंह बनाम राज्य सरकार एवम् अन्य) में अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

2 इन परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों को वित्त विभाग की अधिसूचना कमांक प01(2)वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006 एवं F.14(1)FD/RULES/2013PT दिनांक 8.6.2015 के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक उच्चतम न्यायालय में लंबित एस0एल0पी0 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम् गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।

3 गर्भवती महिलाओं के लिये कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.15(1) कार्मिक/क–2/74 दिनांक 16.8.2005 में वर्णित प्रावधान प्रभावी होगें।

4 उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तिथि वही है, जो इन्होनें परीक्षा के आवेदन पत्रों में अंकित की है और जिन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सम्यक् सत्यापन के पश्चात् स्वीकार किया गया है।

5 यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियां राजस्थान राज्य बीमा एवम् भविष्य निधि सेवा नियमों के नियम 30 के उपबन्धों और अपेक्षाओं के अनुसार की गई है।

6 उक्त नियुक्तियां संबंधित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवम् शर्तों के अध्यधीन है।

7 इन अभ्यर्थियों को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि स्वविवेकानुसार बढायी जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में 2 बार से अधिक अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।

8 यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष राज्य बीमा एवम् प्रावधायी निधि सेवा अधिकारी होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।

9 सेवा में नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण की समाप्ति के 2 वर्षों के भीतर त्याग–पत्र दे देता है, या कोई अन्यत्र नियुक्ति ग्रहण कर लेता है, तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदत्त की गई परिलब्धियों की 2 गुना राशि तथा सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर व्यय की गई राशि की 2 गुना राशि सरकार को प्रतिसंदत्त करने की अपेक्षा की जायेगी, तथापि यात्रा और दैनिक भत्तों के रूप में संदत्त रकम वसूली योग्य नहीं होगी। अभ्यर्थी सेवा ग्रहण करने से पूर्व विहित प्रारूप में इस आशय का एक बन्धक पत्र निष्पादित करेगें।

10 राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग–I अध्याय में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।

11 जिन अभ्यर्थियों ने आधारभूत पाठ्यक्रम पहले से उत्तीर्ण कर लिया है, वे आधारभूत पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने की अंकतालिका रिपोर्टिंग के समय इस विभाग को आवश्यक रूप से दिनांक 26.11.15 को प्रातः 9.30 बजे (कमरा नं. 3107, मुख्य भवन, शासन सचिवालय,जयपुर) में उपस्थिति प्रस्तुत करेगें।

12 अभ्यर्थियों को दिनांक 26.11.2015 को प्रातः 9.30 बजे तक अपने विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र (विवाहित होने की स्थिति में) की सत्यापित प्रति के साथ निश्चित रूप से हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर में उपस्थित हो जाना चाहिए। अभ्यर्थियों के लिए हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर द्वारा तय छात्रावास में प्रशिक्षण के दौरान निवास करना अनिवार्य है। यदि किसी अभ्यर्थी को आवश्यकता हो तो छात्रावास सुविधा दिनांक 25.11.2015 अपराह्न से उपलब्ध होगी।

13 उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियॉ उनके चरित्र प्रमाण–पत्र एवम् पूर्ववृत्त (Verification of character & antecedents) संतोषजनक पाये जाने के अध्यधीन रहेंगी। यदि किसी अभ्यर्थी का चरित्र प्रमाण–पत्र एवम् पूर्ववृत्त संतोषजनक प्रमाणित नहीं पाया गया तो उसके नियुक्ति आदेश निरस्त समझे जायेगें।

14 नियुक्त अभ्यर्थी जो विवाहित हैं, उन्हें अपना विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं जीवित संतान/संतानों की सूचना उपस्थिति के समय प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा उपस्थिति की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी।

15 उक्त अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी निश्चित तिथि के 7 दिवस पश्चात् तक भी रिपोर्ट नहीं करते हैं और न ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को भिजवाते हैं तो उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेगें।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

17/11/15

(वेद प्रकाश गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव,
वित्त (बीमा/पेंशन)विभाग

<u>प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है</u> :–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान जयपुर।
2. सचिव (प्रथम/द्वितीय), माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान,जयपुर।

3. वरिष्ठ उप सचिव,मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान जयपुर।

4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/शासन प्रमुख सचिव/शासन सचिव/शासन विशिष्ठ सचिवगण।

5 महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।

6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।

7. अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं पदेन महानिदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर, राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपस्थिति प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों से (जो विवाहित हों) के विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवम् जीवित संतान/संतानों की सूचना की सत्यापित प्रति प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशिक्षण हेतु इनकी उपस्थिति सुनिश्चित कर इस विभाग को तत्काल अवगत करावें।

8. शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/प्रशासनिक सुधार विभाग।

9. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–4/II) को उनकी अ.शा.टीप क्रमांक F.7(1)DOP/A-IV-II/2015 दिनाक 10.11.2015 के संदर्भ में।

10. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर को 12 अतिरिक्त प्रतियों सहित।

11. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

12. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।

13. संबंधित अधिकारी (क्रम संख्या 1 से 12 तक) ।

14. अतिरिक्त निदेशक, वित्त विभाग, को उक्त आदेश विभाग की वेबसाईट पर डालने हेतु।

15. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

17/11/15

(वेद प्रकाश गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव,
वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग